जनपद शामली पुलिस

--मीडिया / सोशल मीडिया सेल शामली--

प्रेसविज्ञप्ति   दिनांक 02.06.2021

थाना कोतवाली

जनपद में गैंगस्टर की गिरफ्तारी हेतु चलाये गये अभियान में गैंगस्टर एक्ट में वांछित 01 अभियुक्त गिरफ्तारः-

आज दिनांक 02.06.2021 को पुलिस अधीक्षक शामली श्री सुकीर्ति माधव के आदेशानुसार चलाये जा रहे वांछित/वारण्टी/गैंगस्टर अभियुक्तों की गिरफ्तारी अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक शामली के निर्देशन एवं क्षेत्राधिकारी नगर के कुशल नेतृत्व मे थाना कोतवाली शामली पुलिस द्वारा सूचना पर बुढ़ाना फाटक से गैंगस्टर एक्ट में वांछित 01 गैंगस्टर बिट्टू उर्फ विजय को गिरफ्तार करने में महत्वपूर्ण सफलता प्राप्त हुई है, जिसके सम्बन्ध में आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जा रही है। गिरफ्तार गैंगस्टर के विरूद्ध जनपद के थाना कोतवाली शामली पर हत्या का प्रयास, अवैध शराब रखने आदि के मामले दर्ज हैं।

नाम व पता गिरफ्तार अभियुक्तः-

1. बिट्टू उर्फ विजय मलिक पुत्र देशपाल निवासी ग्राम झाल थाना कोतवाली जनपद शामली।

आपराधिक इतिहास अभियुक्तः-

1.मु0अ0सं0 1467/19 धारा 60/63 आबकारी अधिनियम थाना कोतवाली जनपद शामली।

2.मु0अ0सं0 1494/19 धारा 60/63/72 आबकारी व 272,273,414 भादवि थाना कोतवाली जनपद शामली।

3.मु0अ0सं0 22/20 धारा 307 भादंवि थाना कोतवाली जनपद शामली।

4.मु0अ0सं0 24/20 धारा 60/63/72 आबकारी अधिनियम व 272/273 भादंवि थाना कोतवाली जनपद शामली।

5. मु0अ0सं0 176/21 धारा 2/3 गैगस्टर एक्ट थाना कोतवाली शामली जनपद शामली।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीमः-

1.व0उ0नि0 श्री सत्य नारायण दहिया थाना कोतवाली जनपद शामली।

2.का0 यशपाल सिंह थाना कोतवाली जनपद शामली।

थाना बाबरी

थाना बाबरी पुलिस द्वारा 48 घण्टे के अल्प समय में हत्याभियुक्त पति गिरफ्तार।

दिनांक 31/01.06.2021 की रात्रि थाना बाबरी पुलिस को सूचना प्राप्त हुई कि ग्राम गोगवान-जलालपुर निवासी मुरली पुत्र नकली द्वारा अपनी पत्नी श्रीमती सुदेश व पुत्र अजय को फावड़े से वार करके गम्भीर रूप से घायल कर दिया गया है। श्रीमती सुदेश व उसके पुत्र अजय को उपचार हेतु सरकारी अस्पताल शामली लाया गया है, जहां श्रीमती सुदेश की मृत्यु हो गयी है। सूचना पर तत्काल थानाध्यक्ष बाबरी मय पुलिस बल के मौके पर पहुंचे तथा शव के पंचायतनामे की कार्यवाही कर पोस्टमार्टम हेतु भेजा गया। मृतक के परिजन द्वारा घटना के सम्बन्ध में दिनांक 01.06.2021 को थाना बाबरी पर तहरीर दाखिल की गयी। दाखिला तहरीर के आधार पर थाना बाबरी पर सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया। घटना की गम्भीरता के दृष्टिगत पुलिस अधीक्षक शामली द्वारा थाना बाबरी पुलिस को हत्याभियुक्त पति की गिरफ्तारी हेतु निर्देशित करते हुए पुलिस टीम के साथ सर्विलांस टीम को लगाया गया। थाना बाबरी पुलिस द्वारा अभियुक्त मुरली की गिरफ्तारी हेतु सम्भावित स्थानों पर लगातार दबिश दी गयी।

इस क्रम में आज दिनांक 02.06.2021 को थाना बाबरी पुलिस द्वारा श्रीमती सुदेश की हत्या के सम्बन्ध में एकत्रित साक्ष्य एवं सर्विलांस से मिली महत्वपूर्ण जानकारी के आधार पर हत्याभियुक्त पति मुरली को घटना के 48 घण्टे के भीतर लोई नहर पुल से गिरफ्तार करने में महत्वपूर्ण सफलता प्राप्त की है। गिरफ्तारी के सम्बन्ध में आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

घटना कारित करने का तरीकाः- हत्याभियुक्त मुरली से हुई पूछताछ में ज्ञात हुआ है कि वह घटना वाले दिन शराब का सेवन कर देर शाम घर आया तो उसकी पत्नी ने खाने के लिए खाना दिया, जिसमे सलाद न होने पर विवाद होने लगा। विवाद के बीच उसका पुत्र अजय भी आ गया। परिवार के अन्य लोगों ने विवाद को समाप्त करा दिया। उसके बाद वह वहां से चला गया। परन्तु देर रात्रि जब परिवार के सभी लोग सो गये थे, तो उसने गुस्से में घर में रखे फावड़े से अपनी सोती हुई पत्नी के सिर व गर्दन पर प्रहार किये तथा उसके उपरान्त उसने पास में ही सो रहे अपने पुत्र अजय पर भी फावड़े से प्रहार किये। अजय द्वारा शोर मचाने पर पड़ोसियो के जागने पर वह जंगल की ओर भाग निकला तथा जंगलों में ही छुप रहा था।

नाम व पता गिरफ्तार अभियुक्तगः-

1. मुरली पुत्र नकली निवासी ग्राम गोगवान-जलालपुर थाना बाबरी जनपद शामली।

गिरफ्तार करने वाली टीमः-

1. श्री नेमचन्द सिंह थानाध्यक्ष थाना बाबरी जनपद शामली।
2. उ0नि0 श्री विजय त्यागी थाना बाबरी जनपद शामली।
3. उ0नि0 श्री राजकुमार थाना बाबरी जनपद शामली।
4. का0 नितिन कुमार थाना बाबरी जनपद शामली।
5. का0 रिंकू राणा थाना बाबरी जनपद शामली।

थानाभवन

थानाभवन पुलिस द्वारा सोशल मीडिया पर प्रतिबंधित पशु तस्करी से सम्बन्धित वायरल वीडियों में 02 पशु तस्कर और गिरफ्तार।

आज दिनांक 02.06.2021 को पुलिस अधीक्षक शामली श्री सुकीर्ति माधव के आदेशानुसार अवैध पशु कटान/तस्करी में लिप्त अपराधियों की गिरफ्तारी अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक शामली के निर्देशन एवं क्षेत्राधिकारी थानाभवन के कुशल पर्यवेक्षण में थाना थानाभवन पुलिस द्वारा सूचना चमड़ा पीठ कस्बा थानाभवन से सोशल मीडिया पर प्रतिबंधित पशु तस्करी से सम्बन्धित वायरल वीडियों में 02 वांछित पशु तस्कर को गिरफ्तार करने में महत्वपूर्ण सफलता प्राप्त हुई है। गिरफ्तारी के सम्बन्ध में थानाभवन पर आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जा रही है। गिरफ्तार अभियुक्त के अपराधिक इतिहास की जानकारी की जा रही है।

ज्ञात हो कि दिनांक 23.05.2021 को 4-5 अज्ञात पशु तस्करों द्वारा एक गोवंश को चोरी कर क्रूरतापूर्वक खीचकर ले जाने के सम्बन्ध में वीडियों सोशल मीडिया पर वायरल हुई थी, जिसकी छानबीन करने पर वीडियो हकीकतनगर कस्बा जलालाबाद थाना थानाभवन का होना पाया गया। जिसकी जांच एवं अभियुक्तगण की शिनाख्त की गयी थी। थानाभवन पुलिस द्वारा सक्रियता से अभियुक्तगण की तलाश की जा रही है। जिसके क्रम में दिनांक 28.05.2021 को वायरल वीडियों से सम्बन्धित 01 तस्कर अरशद पुत्र अजमल, थानाभवन पुलिस द्वारा गिरफ्तार कर जेल भेजा गया था। तथा शेष अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु प्रयास किये जा रहे है।

नाम व पता गिरफ्तार अभियुक्त-

1. मुस्तकीम पुत्र शफीक निवासी मोहल्ला सय्यदान चमड़ा पीठ कस्बा व थाना थानाभवन जनपद शामली।
2. आसिफ पुत्र असलम निवासी मोहल्ला सय्यदान चमड़ा पीठ कस्बा व थाना थानाभवन जनपद शामली।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीमः-

1. उ0नि0 श्री बंटी सिंह थाना थानाभवन जनपद शामली।
2. का0 अरविन्द कुमार थाना थानाभवन जनपद शामली।
3. का0 उदित कुमार थाना थानाभवन जनपद शामली।
4. का0 अमित तोमर थाना थानाभवन जनपद शामली।

<u>थानाभवन पुलिस द्वारा सोशल मीडिया पर पशु तस्करी से सम्बन्धित वायरल वीडियों में गिरफ्तार पशु तस्कर को रिमाण्ड पर लेकर गोवंश अवशेष किये बरामद।</u>

दिनांक 28.05.2021 को थाना थानाभवन पुलिस द्वारा काली नदी पुल से सोशल मीडिया पर पशु तस्करी से सम्बन्धित वायरल वीडियों के 01 पशु तस्कर अरशद को गिरफ्तार कर उसके कब्जे से तस्करी हेतु ले जा रहे 01 गोवंश को बरामद किया गया था।

गिरफ्तार तस्कर से समयभाव के कारण वीडियों से सम्बन्धित गोवंश के अवशेष बरामद नही हो सके थे, जिसको माननीय न्यायालय से प्रार्थना कर 08 घण्टे के रिमाण्ड पर आज दिनांक 02.06.2021 को लेकर वीडियों में दिख रहे गोवंश के कटान किये जाने के कथन पर उसके द्वारा कटान स्थान मुल्लापुर रोड़ काली नदी के पास झाड़ियों से गोवंश के अवशेष बरामद कराये गये है। अभियुक्त के विरूद्ध गैंगस्टर की कार्यवाही की जायेगी।

<u>नाम व पता अभियुक्त-</u>

1. अरशद पुत्र अजमल निवासी नीलग्राम चैक कस्बा जलालाबाद थाना थानाभवन जनपद शामली।

<u>बरामदगी का विवरण-</u>

1. गोवंश अवशेष (खाल, खुर आदि)।

थाना कैराना

थाना कैराना पुलिस द्वारा दहेज हत्या में 5-5 हजार के इनामी 02 वांछित अभियुक्त किये गिरफ्तारः-

आज दिनांक 02.06.2021 को पुलिस अधीक्षक शामली श्री सुकीर्ति माधव के आदेशानुसार चलाये जा रहे वांछित/इनामी अभियुक्तों की गिरफ्तारी अभियान के अनुपालन में अपर पुलिस अधीक्षक शामली के निर्देशन तथा क्षेत्राधिकारी कैराना के निकट पर्यवेक्षण में थाना कैराना पुलिस द्वारा सूचना के आधार पर ग्राम गोगवान से दहेज हत्या के मामले में 5-5 हजार के इनामी 02 वांछित अभियुक्तों को गिरफ्तार करने में महत्वपूर्ण सफलता प्राप्त हुई है। गिरफ्तारी के सम्बन्ध में थाना कैराना पर आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

ज्ञात हो कि दिनांक 18.06.2020 को वादी श्री शब्बीर पुत्र शरीफ निवासी ग्राम बलवा थाना कोतवाली जनपद शामली द्वारा उसकी पुत्री की सारिक, सालिम, आमिल, अब्दुल हकीम द्वारा दहेज की मांग पूरी न होने पर जहर देकर हत्या करने के सम्बन्ध में थाना कैराना पर लिखित तहरीर दी गयी। दाखिला तहरीर के आधार पर थाना कैराना पर सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया। तथा इसी मामले में 02 अन्य 5-5 हजार रुपये के इनामी 02 अभियुक्तों सारिक व सालिम को दिनांक 26.05.2021 को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया था।

नाम व पता गिरफ्तार अभियुक्तगणः-

1. आलिम पुत्र अब्दुल हकीम निवासी गोगवान थाना कैराना जनपद शामली।
2. अब्दुल हकीम पुत्र अब्दुल्ला निवासी गोगवान थाना कैराना जनपद शामली।

अपराधिक इतिहास गिरफ्तार अभियुक्तगणः-

1.मु0अ0सं0 238/20 धारा 174 ए भादवि थाना कैराना जनपद शामली।

2.मु0अ0सं0 280/20 धारा 498ए,304बी,328 भादवि व 3/4 दहेज अधिनियम थाना कैराना शामली।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीमः-

1. प्रभारी निरीक्षक श्री प्रेमवीर सिंह राणा थाना कैराना जनपद शामली।
2. उ0नि0 श्री रमेश चन्द थाना कैराना जनपद शामली।
3. का0 अमित सांगवान थाना कैराना जनपद शामली।

<u>थाना कैराना पुलिस द्वारा हत्या के प्रयास में वांछित 01 अभियुक्त गिरफ्तारः-</u>

आज दिनांक 02.06.2021 को पुलिस अधीक्षक शामली श्री सुकीर्ति माधव के आदेशानुसार चलाये जा रहे वांछित/वारण्टी अभियुक्त की गिरफ्तारी अभियान के अनुपालन में अपर पुलिस अधीक्षक शामली के निर्देशन तथा क्षेत्राधिकारी कैराना के निकट पर्यवेक्षण में थाना कैराना पुलिस द्वारा मिनी ब्रेक पांइट से, हत्या के प्रयास में वांछित 01 अभियुक्त को गिरफ्तार करने में महत्वपूर्ण सफलता प्राप्त हुई है। गिरफ्तारी के सम्बन्ध में थाना कैराना पर आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

ज्ञात हो कि दिनांक 29.04.2021 को राकिब पुत्र सुन्हैरा निवासी ग्राम मन्ना माजरा थाना कैराना जनपद शामली द्वारा अपने खेत में काम करने के दौरान रिजवान आदि द्वारा एक राय होकर उस पर जान से मारने की नीयत से हमला कर दिये जाने के सम्बन्ध में थाना कैराना पर लिखित तहरीर दाखिल की। तहरीर के आधार पर थाना कैराना पर सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया था। पुलिस अधीक्षक शामली द्वारा प्रभारी निरीक्षक कैराना को अभियुक्तों की शीघ्र गिरफ्तारी हेतु आवश्यक निर्देश दिये गये। इसी क्रम में दिनांक 01.05.2021 को थाना कैराना पुलिस द्वारा घटना में लिप्त 05 अभियुक्तों रिजवान, इदरीश, सोमान, फैजान उर्फ मौनिश व इसरार को पूर्व में ही गिरफ्तार कर जेल भेजा जा चुका है। शेष एक अभियुक्त गय्यूर फरार चल रहा था, जिसकी गिरफ्तारी के लगातार प्रयास किये जा रहे थे।

<u>नाम व पता गिरफ्तार अभियुक्तः-</u>

1- गय्यूर पुत्र जम्मल निवासी मन्ना माजरा थाना कैराना जनपद शामली।

<u>आपराधिक इतिहास गिरफ्तार अभियुक्तः-</u>

1- मु0अ0सं0 224/2021 धारा 147,148,307,323,504,506 भादवि0 थाना कैराना जनपद शामली।

<u>गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीमः-</u>

1- उ0नि0 श्री राजकुमार बघेल थाना कैराना जनपद शामली।

2- का0 शहजाद अली थाना कैराना जनपद शामली।

3- का मुनेन्द्र कुमार थाना कैराना जनपद शामली।

<u>थाना कैराना पुलिस द्वारा जानलेवा हमले के मामले में 03 अभियुक्त गिरफ्तारः-</u>

आज दिनांक 02.06.2021 को पुलिस अधीक्षक शामली श्री सुकीर्ति माधव के आदेशानुसार चलाये जा रहे वांछित/वारण्टी अभियुक्त की गिरफ्तारी अभियान के अनुपालन में अपर पुलिस अधीक्षक शामली के निर्देशन तथा क्षेत्राधिकारी कैराना के निकट पर्यवेक्षण में थाना कैराना पुलिस द्वारा मिनी ब्रेक पांइट से, हत्या के प्रयास में वांछित 03 अभियुक्तों को गिरफ्तार करने में महत्वपूर्ण सफलता प्राप्त हुई है। गिरफ्तारी के सम्बन्ध में थाना कैराना पर आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

ज्ञात हो कि दिनांक 01.06.2021 को श्री इस्तकार उर्फ दिल्ला पुत्र श्री मुस्तकीम निवासी ग्राम निर्वना चरथावल जनपद मुजफ्फरनगर द्वारा ग्राम रामडा में अपनी उधार दी हुई नकदी लेने हेतु आने पर अभियुक्तगण द्वारा उसके साथ लाठी डंडों से मारपीट करने, जान से मारने की नियत से तमंचे फायर किये जाने के सम्बन्ध में थाना कैराना पर तहरीर दाखिल की गयी। दाखिला तहरीर के आधार पर थाना कैराना पर सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया।

<u>नाम व पता गिरफ्तार अभियुक्तः-</u>

1- सादिक पुत्र शादीन निवासी हाजीपुर दुग्गड़ा थाना कांधला जनपद शामली।

2- अर्जुन उर्फ जोनू पुत्र यशपाल निवासी ग्राम अलीपुर थाना कैराना जनपद शामली।

3- शाहरूख पुत्र हनीफ निवासी ग्राम रामड़ा थाना कैराना जनपद शामली।

<u>गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीमः-</u>

1- उ0नि0 श्री सचिन कुमार थाना कैराना जनपद शामली।

2- है0का0 जनेश थाना कैराना जनपद शामली।

3- का0 संजीव कुमार थाना कैराना जनपद शामली।

4- का0 नीरज कश्यप थाना कैराना जनपद शामली।

थाना कांधला

थाना कांधला पुलिस द्वारा दिसम्बर-2020 में पैट्रोल पम्प व सराफा व्यापारी से हुई लूट में वांछित 10000/-रुपये का इनामी बदमाश गिरफ्तारः-

आज दिनांक 02.06.2021 को पुलिस अधीक्षक शामली श्री सुकीर्ति माधव के आदेशानुसार चलाए जा रहे इनामी अपराधी की गिरफ्तारी अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक शामली के निर्देशन एवं क्षेत्राधिकारी कैराना के कुशल नेतृत्व में थाना कांधला पुलिस द्वारा, दिसम्बर 2020 में पैट्रोल पम्प एवं सर्राफा व्यापारी से हुई लूट में लिप्त बदमाशों के साथ हुई मुठभेड़ में वांछित 10000/-रुपये के इनामी बदमाश को सूचना पर किवाना रोड़ से गिरफ्तार करने में महत्वपूर्ण सफलता प्राप्त हुई है। गिरफ्तारी के सम्बन्ध में थाना कांधला पर आवश्यक कार्यवाही की जा रही है।

ज्ञात हो कि दिनांक 05.12.2020 की देर शाम शहर शामली में सर्राफा व्यापारी से कुछ बदमाशों द्वारा जेवरात से भरा थैला लूटने व इस घटना के तत्काल बाद मेरठ-करनाल हाईवे पर सिम्भालका के निकट पेट्रोल पम्प के सेल्समैन से हथियारों के बल पर नकदी लूट की घटना कारित की गयी। दोनो घटनाओं की सूचना पर पुलिस अधीक्षक शामली द्वारा मौके पर पहुँचकर बदमाशों के सम्बन्ध में पूछताछ कर मौके पर मौजूद प्रभारी थाना कोतवाली एवं क्षेत्राधिकारी नगर को घटना के शीघ्र अनावरण हेतु दिशा-निर्देश देते हुए तीन टीमों को लगाया गया। घटनाओं के अनावरण हेतु लगाई गई टीमों द्वारा देर रात तक बदमाशों के सम्बन्ध में महत्वपूर्ण जानकारियां एकत्रित की और ज्ञात हुआ कि दोनो घटनाओं को एक ही गैंग के द्वारा कारित किया गया है। जिसके क्रम में दिनांक 06.12.2020 को बदमाशों से खंद्रावली के जंगल में शामली पुलिस एवं एसओजी सहारनपुर की हुई मुठभेड में तीन बदमाश सनी, विशाल पंवार एवं रोहित उर्फ पारूल गिरफ्तार किये गये। जिनके दो साथी मौके से फरार होने में सफल रहे थे, जिनकी गिरफ्तारी हेतु पुलिस द्वारा लगातार प्रयास किये जा रहे थे। बदमाशों की गिरफ्तारी पर पुलिस अधीक्षक शामली द्वारा दस-दस हजार रुपये का पुरस्कार घोषित किया गया था।

नाम व पता गिरफ्तार अभियुक्त-

1. सुनील पुत्र रणवीर निवासी ग्राम सल्फा थाना कांधला जनपद शामली।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

1. उ0नि0 श्री देवेन्द्र शर्मा थाना कांधला जनपद शामली।
2. है0का0 अजीत सिंह थाना कांधला जनपद शामली।
3. का0 ललित शर्मा थाना कांधला जनपद शामली।